इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 474] भोपाल, सोमवार, दिनांक 28 अगस्त 2017—भाद्र 6, शक 1939

आयुष विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 अगस्त 2017

मध्यप्रदेश एम.डी. (आयुर्वेद) /एम.एस (आयुर्वेद)
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2017

क्रमांक एफ 01-18 /2017/1/59 : म.प्र. चिकित्सा शिक्षा संस्था (नियत्रंण) अधिनियम – 1973 की धारा – 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियो को प्रयोग मे लाते हुये, राज्य सरकार एतद् द्वारा अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये, अर्थात् मध्यप्रदेश राज्य के शासकीय (स्वशासी) एवं निजी क्षेत्र

के आयुर्वेद महाविद्यालयों में एम.डी. (आयुर्वेद)/एम.एस, (आयुर्वेद) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश से सम्बंधित निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात,

1– **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –**

1.1 इन नियमों का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश एम.डी. (आयुर्वेद)/एम.एस, (आयुर्वेद) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2017" है ।

1.2 ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

2– **परिभाषाएं** – इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

2.1 All India AYUSH Post Graduate Entrance Test (AIA-PGET) **से अभिप्रेत है भारत** सरकार आयुष **मंत्रालय द्वारा** अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली के माध्यम से आयुष स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा।

2.2 "महाविद्यालय" से अभिप्रेत है राज्य सरकार के अधीन शासकीय एवं निजी क्षेत्र के आयुर्वेद महाविद्यालय।

2.3 "परीक्षा" से अभिप्रेत है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली, द्वारा आयोजित परीक्षा All India AYUSH Post Graduate Entrance Test (AIA-PGET) 2017 ।

2.4 "सीट" से आशय है, महाविद्यालयों में रिक्त/भरे स्थान।

2.5 "सेवारत अभ्यर्थी" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन के ऐसे आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, जो मध्यप्रदेश शासन के अधीन सेवा कर रहे हों।

2.6 "ग्रामीण क्षेत्र" से अभिप्रेत है नगर निगम क्षेत्र तथा नगर–पालिका परिषद क्षेत्र से भिन्न कोई क्षेत्र।

2.7 "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा यथाविनिर्दिष्ट तथा अधिकथित अन्य पिछड़े वर्ग।

2.8 "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन द्वारा यथा विनिर्दिष्ट तथा अधिकथित

अनुसूचित जातियां।

2.9 "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन द्वारा यथाविनिर्दिष्ट तथा अधिकथित अनुसूचित जनजातियां।

2.10 "प्रवर्ग" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन द्वारा विनिर्दिष्ट तथा निर्धारित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अनारक्षित श्रेणी।

2.11 "संवर्ग" से अभिप्रेत है दिव्यांग (पी.एच) जैसा कि भारत शासन श्रम मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट तथा निर्धारित हैं एवं महिला।

2.12 "श्रेणी" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन द्वारा विनिर्दिष्ट तथा निर्धारित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अनारक्षित श्रेणी।

2.13 "चयनित अभ्यर्थी" से अभिप्रेत है ऐसे अभ्यर्थी जिनको सीट आवंटन कर आवंटन पत्र जारी कर दिया गया है।

2.14 "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन।

2.15 "सी.सी.आई.एम." से अभिप्रेत है सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन।

2.16 "काउंसिलिंग" से अभिप्रेत है परीक्षा के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की मैरिट एवं पात्रता के अनुसार राज्य सरकार द्वारा आयोजित सीट आवंटन की प्रकिया।

2.17 "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है ऐसा संस्थान जिससे प्रदेश के शासकीय स्वशासी एवं निजी क्षेत्र के आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध है।

2.18 "अभ्यर्थी" से अभिप्रेत है उक्त पाठ्यक्रमो मे प्रवेश के इच्छुक व्यक्ति।

2.19 "अध्येता" से अभिप्रेत है उक्त पाठ्यक्रमो मे प्रवेश उपरांत छात्र/छात्राये।

2.20 "क्लीनिकल विषय" से अभिप्रेत है भा0चि0के0प0 के पी0जी0 परिनियम 2016 के उपनियम–4 के अनुसार क्लीनिकल विषय ।

3– सामान्य –

3.1 स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम, यथास्थिति सी.सी.आई.एम./म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय/राज्य सरकार/भारत सरकार/महाविद्यालय की स्वशासी संस्था की यथास्थिति, प्रवेश, आवंटन तथा समय–समय पर यथा संशोधित प्रवृत्त नियमों तथा विनियमों में किये गए संशोधनों द्वारा शासित तथा विनियमित होंगे।

3.2 प्रवेश की तारीख से उपाधि की अवधि अर्थात तीन वर्ष की कालावधि के लिए स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम। छात्र को संपूर्ण अध्ययनकाल में निजी प्रेक्टिस, अंशकालिक नौकरी या कोई अन्य नौकरी करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

3.3 जब भी अपेक्षित हो सही जानकारी दी जानी तथा प्रस्तुत की जानी चाहिए। प्रवेश काउंसलिंग संबंधित फार्म भरने से पूर्व अभ्यर्थी को यह सलाह दी जाती है कि वे नियमों को पूर्ण रूप पढ़ लें एवं समझ लें और अपेक्षित की गई संपूर्ण तथा सही जानकारी भरें तथा अपेक्षित दस्तावेज

संलग्न करें, जिसके अभाव में प्रार्थी को सीट आवंटन तथा प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

3.4 यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के स्थान (सीट) आवंटन के समय दस्तावेजों की छानबीन के समय तथा उसके प्रवेश के समय आवेदन प्रारूप में कोई सुसंगत तथ्य छिपाए गये हैं या गलत जानकारी दी गई है तो उसके अध्ययन के दौरान किसी भी समय उसका प्रवेश महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा रद्द कर दिया जावेगा।

3.5 यदि अभ्यर्थी के विरूद्ध गम्भीर अपराधिक प्रकरण दर्ज होना पाया जाता है तो वह प्रवेश का हकदार नही होगा।

3.6 अध्येता को दुराचरण, आपराधिक कृत्य मे संलिप्तता, अनुशासनहीनता (प्रधानाचार्य तथा महाविद्यालय स्वशासी समिति एवं शासन के आदेशों/निर्देशों एवं नियमों की अवहेलना, प्रदर्शन आदि भी सम्मिलित है।), लगातार बिना सूचना के 45 दिन से अधिक अनुपस्थित रहने का दोषी पाये जाने पर उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे, जिसमें प्रधानाचार्य के द्वारा महाविद्यालय से निष्कासन की कार्यवाही एवं विश्वविद्यालय द्वारा पंजीयन का निरस्तीकरण किया जाना सम्मिलित है। अनाधिकृत रुप से बिना पूर्व सूचना के निरंतर 45 दिन अनुपस्थित रहने पर प्रवेश निरस्तीकरण की कार्यवाही प्रधानाचार्य के द्वारा गुण दोष के आधार पर की जायेगी। इस अनुपस्थित अवधि का किसी भी प्रकार के मान्य अवकाश में समायोजन नहीं होगा। ऐसे प्रवेश के पश्चात् निष्कासित अभ्यर्थी, निष्कासन की तिथि से आगामी 03 वर्ष के लिये राज्य के शासकीय स्वशासी एवं निजी आयुर्वेद महाविद्यालय की पी. जी. सीटो पर प्रवेश के लिये अपात्र होगे, तथा उन्हे आर्थिक दण्ड स्वरूप रूपये 05.00 लाख (रूपये पॉच लाख) संबंधित शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय मे जमा करने होगे। बकाया राशि की वसूली भू राजस्व बकाया के समान की जा सकेगी, उक्तानुसार धन राशि जमा किये जाने के पश्चात् ही संबंधित अभ्यर्थी को मूलदस्तावेज वापस किये जायेगे।

3.7 भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (सी.सी.आई.एम.) नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की सीट्स पर पाठ्यक्रमवार एवं महाविद्यालयवार प्रवेश दिया जावेगा। कॉउंसलिंग के समय जिन संस्थाओं को भारत सरकार आयुष मंत्रालय की प्रवेश अनुमति प्राप्त होगी उन सभी में प्रवेश की कार्यवाही संचालनालय आयुष म.प्र. स्तर से की जावेगी।

3.8 प्रत्येक अभ्यर्थी को काउंसिलिंग हेतु एम.पी.ऑन लाईन के प्रवेश नियमों का पालन करना होगा एवं उसे विहित की गई फीस जमा करनी होगी।

4— **सेवारत अभ्यर्थी (आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी)**

4.1 वे अभ्यर्थी जिन्होने प्रवेश वर्ष के 30 अप्रैल 2017 को चिकिसा अधिकारी के रूप मे जो मध्यप्रदेश शासन के अन्तर्गत नियमित सेवा मे कार्यरत रहकर ग्रामीण क्षेत्र मे 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। नियमित सेवा के चिकित्सा अधिकारी को नियमानुरूप उच्च अध्ययन अवकाश की पात्रता होने पर ही प्रवेश दिया जावेगा। अध्ययन अवकाश स्वीकृति हेतु पात्रता म0प्र0 सिविल सेवायें

(अवकाश) नियम 1977 के नियम–42 के अनुसार होगी।

4.2 नियमित सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियो को पी.जी. पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत डिग्री हेतु 05 वर्ष की सेवा विभाग मे देने हेतु 10.00 लाख (रूपये दस लाख) बॉण्ड का निस्पादन करना होगा।

4.3 राज्य शासन द्वारा पात्रतानुसार अध्ययन अवकाश की स्वीकृति उपरान्त नियमित सेवारत अभ्यर्थियों को आयुष विभाग द्वारा वेतन प्रदाय किया जायेगा। यह स्पान्सरशिप पाठ्यक्रम फीस एवं अन्य किसी लाभ के लिये देय नही होगी, बल्कि ऐसे अभ्यर्थियो को पाठ्यक्रम के लिये निर्धारित फीस जमा करना अनिवार्य होगा।

4.4 03 वर्ष की अर्हताकारी सेवा हेतु कालावधि की गणना उस स्थिति मे नहीं की जावे जब अभ्यर्थी उस कार्यकाल के दौरान अनधिकृत रूप से कर्तव्य से अनुपस्थिति रहा है/ कोई डाईजनॉन अवधि हुई/ कोई अवैतनिक छुटटी पर रहा है।

4.5 सेवारत पुरूष अभ्यर्थियो के चयन हेतु अधिकतम आयु सीमा प्रवेश के वर्ष 30 अप्रैल 2017 को 45 वर्ष होगी तथा महिला अभ्यर्थियो के लिये अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी।

4.6 सेवारत अभ्यर्थियो के लिये 25 प्रतिशत सीट केवल क्लीनिकल विषयों (भा.चि.के.प. के पी.जी. परिनियम–2016 के उपनियम–4 अनुसार) में आरक्षित रहेंगी केवल उन्हें इस श्रेणी के लिये आरक्षित सीट्स पर ही प्रवेश की पात्रता होगी।

4.7 सेवारत अभ्यर्थी जिनकों म.प्र. शासन के अन्तर्गत विभाग द्वारा अनापत्ति जारी की गई हो वे काउंसलिंग मे उपस्थित होने के लिये कर्तव्य पर माने जायेंगे परन्तु वे विभाग से नियमानुसार यात्रा भत्ते तथा महंगाई भत्ते का दावा करने के हकदार नहीं होंगे।

5– **सीटों की उपलब्धता**:– शासकीय स्वशासी एवं निजी क्षेत्र के आयुर्वेद महाविद्यालयों मे उपलब्ध स्नातकोत्तर सीटों की जानकारी महाविद्यालयवार पाठ्यक्रमवार, विषयवार एवं श्रेणीवार म.प्र. राज्य मे पी.जी. कॉउसंलिंग हेतु निर्धारित पोर्टल www.mponline.gov.in पर उपलब्ध कराई जायेगी। इन सीटो को परीक्षा मे पात्र घोषित अभ्यार्थियों से ऑनलाईन कॉउंसलिंग के माध्यम से भरा जायेगा। सीटो की संख्या में परिर्वतन हो सकता है, जो यथा समय निर्धारित पोर्टल पर प्रकाशित किया जायेगा।

6– **आरक्षण** –

6.1 मध्यप्रदेश की अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 20 प्रतिशत स्थान, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 16 प्रतिशत स्थान एवं मध्यप्रदेश के अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों के लिए जो क्रीमिलेयर से भिन्न हैं 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे या समय--समय पर यथा संशोधित अनुसार आरक्षित रहेंगे।

(1) महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण प्रत्येक प्रवर्ग में योग्यता (मेरिट) – सह – विकल्प के अनुसार 30 प्रतिशत होगा।

(2) ऐसे अभ्यर्थी को जो मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा

वर्ग का है, आवेदन के साथ मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये निर्धारित प्रपत्र में स्थायी जाति प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना होगा। मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल स्थायी जाति प्रमाण पत्र तथा मूल निवासी प्रमाण पत्र, अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण की पात्रता नहीं होगी जिस का पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा।

(3) ऐसे दिव्यांग व्यक्ति जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं और जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित प्रवर्ग के हैं, के लिए छह प्रतिशत स्थान (स्नातकोत्तर) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आरक्षित है, यह आरक्षण हारिजेन्टल एवं कम्पार्टमेंट्लाइज्ड होगा। पहले 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत के बीच निचले अंगों की गतिक दिव्यांगता वाले अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच निचले अंगों की गतिक दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों से भरे जावेंगे।

उपरोक्त आरक्षण के अनुसार अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उक्त स्थान (सीटें) संबंधित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से भरे जावेंगे।

"इन स्थानों (सीट) पर प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी को विहित प्रपत्र में जिला मेडिकल बोर्ड से वैध प्रमाणपत्र और अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, दिव्यांग व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्र, नेपियर टाउन, जबलपुर से पात्रता प्रमाण पत्र, दोनों ही अनिवार्यतः, प्रस्तुत करना होगा। विषयवार सीटों की जानकारी यथासमय प्रदर्शित की जावेगी। सत्यापन एवं प्रवेश के समय दोनों प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दिव्यांगता के संबंध में बनाए गए दिशा निर्देश के अनुसार निम्नलिखित दिव्यांगों को दिव्यांग संवर्ग में पात्रता नहीं होगी:–

(1) हाथ/हाथों से दिव्यांग

(2) दृष्टि से दिव्यांग

(3) बहरापन

(4) 70 प्रतिशत से अधिक पैरों की दिव्यांगता।"

6.2 **आरक्षित प्रवर्ग की सीट का परिवर्तन –**

यदि आरक्षण के अनुसार पात्र उम्मीदवार किसी आरक्षित प्रवर्ग में उपलब्ध नहीं होते है तो ऐसी स्थिति में रिक्त सीटों को अन्य श्रेणियों में निम्नानुसार परिवर्तित कर भरने की कार्यवाही की जावेगी–

(क) अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के लिये आरक्षित रिक्त सीट पात्र अनुसूचित जाति प्रवर्ग के उम्मीदवारों द्वारा भरी जावेगी।

(ख) अनुसूचित जाति प्रवर्ग के लिये आरक्षित रिक्त सीट पात्र अनुसचित जनजाति प्रवर्ग के उम्मीदवारों द्वारा भरी जावेगी।

(ग) यदि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों प्रवर्गों के पात्र उम्मीदवार उनकी आरक्षित सीटों की पूर्ति के लिये उपलब्ध नहीं होते है तो ऐसी स्थिति में आरक्षित रिक्त सीटों की पूर्ति अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवर्ग के पात्र उम्मीदवारों से की जावेगी।

(घ) यदि उपरोक्त तीनों आरक्षित प्रवर्गों के अंतर्गत पात्र उम्मीदवार उपरोक्तानुसार उपलब्ध नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में रिक्त सीटों की पूर्ति अनारक्षित प्रवर्ग के पात्र उम्मीदवार से की जायेगी।

नोटः– **यह व्यवस्था सम्बन्धित प्रवर्ग के योग्य उम्मीदवारो की प्रावीण्यता सूची समाप्त होने के बाद सीट परिवर्तन की सूचना एम.पी. ऑनलाईन पर जारी करने के उपरान्त अगले चरण की काउसिंलिंग में की जायेगी।**

(च) योग्य सेवारत अभ्यर्थी न मिलने पर गैर सेवारत अभ्यर्थियो से सीटो की पूर्ति की जावेगी।

6.3 यदि किसी दिव्यांग (पी. एच.) तथा महिला (एफ) संवर्ग में रिक्त सीट पर प्रवेश हेतु योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगे तो उतनी रिक्त सीटें उसी प्रवर्ग की ओपन सीट में उपलब्ध करा दी जायेंगी। आरक्षित प्रवर्ग की ओपन रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु योग्य उम्मीदवार प्रवर्ग की आरक्षित सीमा तक उपलब्ध नहीं हैं तो रिक्त सीटें अन्य प्रवर्गो से उपलब्ध कराते हुए भरी जावेंगी जैसा नियम 6.2 में है।

7– पात्रता –

1 All India AYUSH Post Graduate Entrance Test (AIA-PGET) 2017 के घोषित परिक्षा परिणाम में निर्धारित कुल अंको में से सीसीआईएम के मापदण्डानुसार निम्नांकित न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त अभ्यर्थी काउंसिलिंग के लिये पात्र माने जायेंगेः–

क)	अनारक्षित अभ्यर्थी	–	50% या उस से अधिक
ख)	एस.सी.,एस.टी. एवं राज्य सरकार सेवा के अभ्यर्थी	–	40% या उस से अधिक
ग)	अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी	–	45% या उस से अधिक

परन्तु सम्बन्धित प्रवर्ग में पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थियों द्वारा न्यूनतम अर्हताकारी अंक प्राप्त न होने की स्थिति में **आयुष मंत्रालय, भारत सरकार सम्बन्धित प्रवर्ग के** अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता कारी अंक में कमी कर सकेगी एवं ऐसी कार्यवाही केवल 2017 – 18 वर्तमान अकादमिक वर्ष के लिये ही लागू होगी ।

2 शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है। निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों में प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर के व्यक्ति प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेगें। परन्तु म0प्र0 के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 50 प्रतिशत सीट्स आरक्षित रहेंगी। समान अंक प्राप्त अभ्यर्थियों में म0प्र0 के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जावेगी।

2.1 अभ्यर्थी द्वारा बी.ए.एम.एस. की समस्त परीक्षाएं मध्यप्रदेश के आयुर्वेद महाविद्यालयों से उत्तीर्ण होना चाहिये।

2.2 अभ्यर्थी जो मूल रूप से मध्यप्रदेश के निवासी हैं परंतु उन्होंने बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम मध्यप्रदेश के बाहर, जो कि सी.सी.आई.एम. नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त हों, से उत्तीर्ण की हो।

3 सभी पी.जी. प्रवेशित छात्रों को मध्यप्रदेश राज्य में प्रैक्टिस करने के लिए मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड भोपाल से पंजीकृत होना चाहिये।

3.1 पी.जी. सीट आवंटन होने के पश्चात् आवंटित सीट पर प्रवेश लेने के एक माह के भीतर मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड भोपाल में पंजीकृत चिकित्सक होने हेतु आवेदन तथा संबंधित फीस जमा करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3.2 पात्र अभ्यर्थी ने सी.सी.आई.एम. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में काउंसलिंग प्रारंभ होने के पूर्व अनिवार्य इंटर्नशिप पूर्ण कर ली हो।

8– **काउंसिलिंग समिति तथा काउंसिलिंग प्रक्रिया –**

8.1 शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु संयुक्त प्रावीण्य सूची All India AYUSH Post Graduate Entrance Test (AIA-PGET) 2017 के घोषित परिक्षा परिणाम के आधार पर संयुक्त प्रावीण्य सूची इन नियमों एवं आरक्षण प्रावधानों के आधार पर एम.पी. ऑनलाईन तैयार करेगी।

8.2 निजी क्षेत्र के आयुर्वेद महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु All India AYUSH Post Graduate Entrance Test (AIA-PGET) 2017 के घोषित परिक्षा परिणाम के आधार पर संयुक्त प्रावीण्य सूची से म0प्र0 एवं म0प्र0 के बाहर के अभ्यर्थियों की सूची इन नियमों एवं आरक्षण प्रावधानों के आधार पर एम.पी. ऑनलाईन तैयार करेगी।

8.3 उक्त All India AYUSH Post Graduate Entrance Test (AIA-PGET) 2017 के घोषित परिक्षा परिणाम के आधार पर उपरोक्त प्रकिया द्वारा निर्मित मैरिट सूची अनुसार तथा भारत सरकार आयुष विभाग के निर्देशों के कम में सीट आवंटन प्रकिया एम.पी. ऑनलाईन द्वारा संपन्न कराई जावेगी।

8.4 एम0 पी0 आनलाईन सीट आवंटन के पूर्व निम्न काउंसिलिंग समिति से अनुमोदन उपरान्त इन नियमों के अंतर्गत सीट अलॉटमेन्ट जारी करेगी:–

1. प्रधानाचार्य शासकीय (स्वशासी) होम्योपैथी महाविद्यालय भोपाल
2. प्रधानाचार्य शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल, उज्जैन एवं रीवा।
3. प्रधानाचार्य शासकीय (स्वशासी) यूनानी महाविद्यालय भोपाल
4. शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी महाविद्यालय भोपाल के प्रत्येक महाविद्यालय में से 01–01 वरिष्ठ प्रोफेसर।
5. संचालनालय आयुष द्वारा नामांकित आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधि जो कि प्रथम श्रेणी से कम स्तर का न हो।
6. संचालनालय आयुष के कॉलेज कक्ष के प्रभारी अधिकारी।

7. एम0 पी0 आनलाईन के अधिकृत अधिकारी/सचिव

9— **काउंसिलिंग प्रकियाः— सीट आवंटनः—**

9.1 योग्य अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम तथा महाविद्यालय में सीट आवंटन का आधार भारत सरकार आयुष मंत्रालय/अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा मे प्राप्त रेंकिंग जिसकी की प्रकिया ऑनलाईन काउंसिलिंग के माध्यंम से की जावेगी। आनलाईन काउंसिलिंग के लिए विस्तृत कार्यक्रम पृथक से जारी किये जावेंगे।

9.2 सभी अंकसूचियों, प्रमाण पत्रों एवं सभी संबंधित दस्तावेजों में अभ्यर्थी तथा पिता का नाम एक सा लिखा होना चाहिये। यदि किसी भी दस्तावेज में कहीं कोई अंतर हो तो ऑनलाईन काउंसिलिंग हेतु सत्यापन के पूर्व उसे दुरूस्त करालें अन्यथा प्रवेश निरस्त करने की कार्यवाही होने पर इस हेतु अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। अभ्यर्थी सुनिश्चित रूप से अपना वही फोटोग्राफ काउंसलिंग मे प्रस्तुत करेगा, जिसे All India AYUSH Post Graduate Entrance Test (AIA-PGET) 2017 परीक्षा के समय किया गया हो, साथ ही अभ्यर्थी को काउंसलिंग हेतु आवेदन करते हुये आधार नम्बर भी दर्ज करवाना होगा।

10— **रजिस्ट्रेशन —**

रजिस्ट्रेशन की तिथि निर्धारित कर समाचार पत्रों एवं MP Online के पोर्टल पर दी जावेगी। रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदक को MP Online के पोर्टल अथवा Kiosk पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसका निर्धारित शुल्क रूपये 150/— (एक सौ पचास रूपये मात्र) देय होगा। जिसकी रसीद दी जावेगी। (रजिस्ट्रेशन KIOSK के माध्यम से कराने पर प्रिंट आउट का शुल्क पृथक से देय नहीं होगा।) आवेदक को अपनी जानकारी सही—सही दर्ज करानी होगी। रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात प्रत्येक आवेदक को रजि0 नं0 एवं एक अस्थाई गुप्त पासवर्ड प्रदाय किया जावेगा, जिसे आवेदक को च्वाइस फिलिंग के समय बदलना अनिवार्य होगा।

11— **अभिलेख सत्यापन—**

आवेदक द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय दिये गये विवरण अनुसार अपने मूल दस्तावेज सत्यापन कराने हेतु निम्नांकित केन्द्रों में से किसी भी एक संस्था (हेल्प सेण्टर) पर जाकर सत्यापन (प्रारूप—1 पर) कराना होगा—

1— शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय, भोपाल।

2— शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय,ग्वालियर।

3— शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय, इंदौर।

4— शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय, जबलपुर।

5— शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय, रीवा।

6— शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय, उज्जैन।

7— शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय, बुरहानपुर।

8– शासकीय (स्वशासी) होम्योपैथी महाविद्यालय, भोपाल।

9– शासकीय (स्वशासी) यूनानी महाविद्यालय, भोपाल ।

11.1 रजिस्ट्रेशन के समय जानकारी देते समय एम.पी. ऑनलाईन में आवेदन करते समय दी गई जानकारी को छोड़कर अन्य कोई त्रुटि हो गई हो तो अथवा कमी रह गई हो तो उसे सत्यापन केन्द्र पर सही कराया जा सकता है।

11.2 अभिलेख सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को सत्यापन केन्द्र पर कोई शुल्क जमा नहीं कराना होगा। सत्यापन निःशुल्क होगा।

12– **संस्था का चयन –**

आवेदक को अपनी प्राथमिक्ता के अनुसार पाठ्यक्रमों/संस्थाओं का क्रमानुसार चयन का विकल्प एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल अथवा Kiosk पर जाकर करना होगा। जिसका निर्धारित शुल्क 250/– रूपये (दो सौ पचास रूपये मात्र) एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल अथवा Kiosk को देय होगा (च्वाइस फिलिंग Kiosk के माध्यम से करने पर प्रिंट आउट चार्ज पृथक से देय नहीं होगा) इस राशि की रसीद दी जावेगी, जिसमें आवेदक द्वारा चयनित संस्थाओं की सूची दर्शित होगी। प्रथम बार के अतिरिक्त बाद में किये जाने वाले च्वाइस फिलिंग के लिए केवल 100/– रूपये शुल्क देना होगा।

13– **अलाटमेंट –**

आवेदक अलाटमेंट की निर्धारित तिथि पर एम.पी. ऑनलाईन पोर्टल अथवा Kiosk पर जाकर All India AYUSH Post Graduate Entrance Test (ALA-PGET) 2017 परीक्षा का रोल नं0, जन्मतिथि एवं च्वाइस फिलिंग के समय परिवर्तित किया गया पासवर्ड डालकर अलाटमेंट लेटर प्राप्त कर सकता है।

14– **रिपोर्टिंग–**

आवेदक को महाविद्यालय का आवंटन होने के बाद आवंटित महाविद्यालय जाकर रिपोर्टिंग देनी होगी एवं अपना रोल नं0 एवं पासवर्ड इंटर कर महाविद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित कराना होगा।

15– **लेफ्ट आउट सीट के आवंटन हेतु पात्रता –**

क) लेफ्ट आउट सीट के आवंटन हेतु निम्न लिखित अभ्यर्थी पात्र होंगे:–

– ऐसे रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जिन्हें पूर्व की काउंसिलिंग की चरणों में कोई सीट आवंटित नहीं हुई हो।

– ऐसे रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जिन्होने पूर्व की काउंसिलिंग में ऑप्ट फार वेटिंग (Opt for waiting)का ऑप्शन दिया है।

– ऐसे रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जिन्होने पूर्व के काउंसिलिंग चरणों में च्वाईस फिलिंग (Choice filling) नहीं की है।

ख) लेफ्ट आउट सीट के आवंटन हेतु निम्न लिखित अभ्यर्थी अपात्र होंगे:–

– ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व के चरणों की काउंसिलिंग में उनको आवंटित सीट पर प्रवेशित हैं।

– ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने पूर्व के चरणों की काउंसिलिंग में उनको आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लिया है।

– ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व के चरणों की काउंसिलिंग में आवंटित सीट पर प्रवेश लेने के उपरांत त्यागपत्र दिया गया है।

16– प्रवेश –

अभ्यर्थी को कांउसिलिंग के द्वारा पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय आवंटन के पश्चात्, अधिसूचित दिनांक एवं समय पर संबंधित महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को अपनी उपस्थिति की सूचना देगा।प्रवेश के समय निर्धारित प्रवेश शुल्क प्रधानाचार्य, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय को देय डिमांड ड्राफट के रुप में जमा करना होगा।

16.1 महाविद्यालय की प्रवेश समिति में दो वरिष्ठ शिक्षक तथा कम से कम दो आरक्षित प्रवर्ग के शिक्षक रहेंगे। यह समिति मूल दस्तावेजों का सत्यापन करेगी तथा यदि पात्र पाया जाए तो उम्मीदवार को पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुशंसा प्रधानाचार्य को करेगी।

16.2 पाठ्यक्रम में प्रवेश के उपरान्त उम्मीदवार के मूल अभिलेख जारीकर्ता अधिकारी से सत्यापन पश्चात् वापस किये जायेंगे ।

16.3 यदि कोई अभ्यर्थी उपस्थित होने की संसूचित दिनांक तक उपस्थित नहीं होता है अथवा उपस्थित होकर छोड देता है अथवा संस्था प्रमुख को पूर्व सूचित किये बिना लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है, तो उसका दावा समाप्त हो जावेगा तथा उसका आवंटन/प्रवेश निरस्त हुआ समझा जावेगा।

16.4 अभ्यर्थियों को अपनी चिकित्सकीय जांच करानी होगी एवं उनको तभी प्रवेश दिया जायेगा जब वे चिकित्सकीय दृष्टि से फिट होंगे।

16.5 प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी जानकारी हेतु निम्न टेलिफोन नं0 पर या वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं–

0755 – 4019400, 0755 – 2552931, 2970355, 2970310, 2970360 कार्यालयीन समय 10.30 a.m to 05.30 p.m), www.ayush.mp.gov.in/www.mponline.gov.in

17– फीस संरचना–

शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी को शासकीय स्वशासी संस्था या आयुष विभाग द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क देय होगा जो कि तालिका–1 में प्रदर्शित है। निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों हेतु प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा। जिसे समिति की वेबसाइट **www.afrcmp.org** पर देखा जा सकता है। निजी विश्वविद्यालयों के निजी महाविद्यालयों की फीस म.प्र. निजी

विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के निर्धारण अनुसार देय होगा। इसे वेबसाइट **www.mpnvva.in** पर देखा जा सकता है। फीस सरचना से सहमति की स्थिति में ही आनलाईन काउंसिलिंग हेतु अभ्यर्थियों को च्वाईस फिलिंग करना चाहिये। प्रवेश काउंसिलिंग पश्चात् सीट आवंटित होने पर यह माना जावेगा कि उपरोक्त संबंधित महाविद्यालय की फीस संरचना से अभ्यर्थी सहमत है। अध्येता के प्रवेश उपरान्त इस संबंध में कोई मॉग / संशोधन मान्य नही होगा। **(टेबल–1)**

18– फीस वापसी –

पी.जी. पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों द्वारा अंतिम काउंसिलिंग के सात दिवस पूर्व सीट छोड़ने संबंधी सूचना लिखित में संस्था में प्रस्तुत करने पर ऐसे छात्रों द्वारा जमा फीस से 10 प्रतिशत (अधिकतम रु 10,000/–) काटकर शेष राशि लौटाई जावेगी। उक्त समय–सीमा के बाद प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा जमा राशि वापिसी योग्य नहीं होगी। यह प्रक्रिया राज्य एवं राज्य के बाहर के प्रवेश लेने वाले छात्रों पर समान रूप से लागू होगी।

19– प्रतिभूति निक्षेप –

(1) परामर्श (काउंसिलिंग) के दौरान शासकीय महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रम के लिए स्थान आवंटित होने पर अभ्यर्थी को रूपये 20,000/– प्रतिभूति निक्षेप के रूप में संबंधित प्रधानाचार्य, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय को देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा, परंतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ऐसे अभ्यर्थी जिनके माता–पिता/संरक्षक की आय समस्त स्त्रोतों को मिलाकर रूपये 03.00 लाख प्रतिवर्ष से अधिक नहीं है, कोई प्रतिभूति निक्षेप जमा नहीं करेंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ऐसे अन्य अभ्यर्थी जिनके माता–पिता /संरक्षक की आय समस्त स्त्रोतों को मिलाकर रूपये 03.00 लाख प्रतिवर्ष से अधिक है, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी अभ्यर्थी केवल रूपये 4,000/– प्रतिभूति निक्षेप के रूप में जमा करेंगे।

(2) पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् प्रतिभूति निक्षेप की राशि बिना ब्याज के वापसी योग्य होगी। उस दशा में जब कोई अभ्यर्थी आवंटित पाठ्यक्रम, विषय एवं संस्था में प्रवेश नहीं लेता है या किसी भी कारण से पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व पाठ्यक्रम में अध्ययन बंद कर दे और महाविद्यालय छोड़ दे तो प्रतिभूति निक्षेप पर उसका दावा समपहृत हो जाएगा।

20– सीट लिविंग बॉण्ड– प्रत्येक उम्मीदवार जिनका प्रवेश शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय में हुआ है। उसे प्रवेश के समय रू. 05.00 लाख (रूपये पांच लाख मात्र) का बॉण्ड (प्रारूप अनुसार) भरना होगा। अंतिम काउंसिलिंग दिवस के पश्चात् कभी भी प्रवेश निरस्त कराने पर बॉण्ड की राशि राजसात कर ली जायेगी तथा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का दावा

मान्य नहीं होगा।

21– **प्रवेशित छात्र निम्नलिखित के लिए हकदार होंगे (इसमें सेवारत उम्मीद्वार भी सम्मिलित है)–**

(क) एक साप्ताहिक अवकाश (असंचयी),

(ख) प्रति शैक्षणिक सत्र में 19 दिवस के आकस्मिक अवकाश,

(ग) प्राचार्य की पूर्व अनुमति से, संपूर्ण अध्ययन अवधि के दौरान छात्रवृत्ति सहित 180 दिवस के प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी। चिकित्सा प्रमाण पत्र अवकाश पर जाने के दस दिन के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

(घ) छात्रवृत्ति के बिना प्रतिवर्ष 15 दिवस का चिकित्सा अवकाश/बीमारी का प्रमाण पत्र अवकाश पर जाने के पश्चात् 10 दिन के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

22– **प्रवेश प्रक्रिया कार्यक्रम –**

1	प्रथम काउंसलिंग की तिथि	–	परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद तिथि घोषित की जायेगी।
2	सत्रारंभ तिथि	–	बाद में घोषित की जायेगी।
3	अनुवर्ती कांउसिलिंग(यदि आवश्यक हो)	–	बाद में घोषित की जायेगी।
4	किसी भी कारण से हुई रिक्तियों पर प्रवेश दिये जाने की अंतिम तिथि	–	भारत सरकार/सी.सी.आई.एम द्वारा जारी निर्देशानुसार।

टिप्पणी –

1– कांउसिलिंग का विस्तृत कार्यक्रम राज्य एवं राज्य के बाहर के मुख्य समाचार पत्रों में विज्ञापित किया जायेगा। यदि कार्यक्रम में कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसे भी प्रदेश एवं बाहर के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापित किया जायेगा। साथ ही संचालनालय आयुष, म0प्र0 की बेबसाईट **www.mp.ayush.gov.in** तथा एम.पी ऑनलाईन की वेबसाईट **www.mponline.gov.in** पर भी सूचित किया जावेगा।

2– यदि ऐसे किसी विद्यार्थी की पहचान होती है, जिसका प्रवेश अंतिम तिथि के पश्चात् हुआ हो तो ऐसे विद्यार्थी को उक्त पाठ्यक्रम से निकाल दिया जायेगा अथवा यदि उसे कोई भी आयुर्वेद, शैक्षणिक योग्यता दी जा चुकी है तो यथास्थिति भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार उक्त योग्यता को मान्यता प्रदान नहीं की जावेगी।

23– प्रदेश के शासकीय या निजी आयुर्वेद महाविधालयों में भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा यदि कोई सीट वृद्वि की अनुमति काउंसलिंग के पूर्व प्राप्त हो जाती है अथवा किसी महाविद्यालय को काउंसिलिंग के मध्य में मान्यता/प्रवेश अनुमति प्राप्त होती है तो उनमें भी कांउसिलिंग के माध्यम से ही प्रवेश दिया जा सकेगा

24– किन्हीं विशेष कारणों से रिक्त रही सीटों के आवंटन की प्रकिया केन्द्रीयकृत ऑफ लाइन

काउन्सिलिग के माध्यम से निर्धारित समयावधि एवं सक्षम स्वीकृति के पश्चात पूर्ण की जावेगी। इसमें सीट आवंटन के लिए अभ्यर्थी को महाविद्यालय की पूर्ण वार्षिक फीस तथा समस्त मूल अभिलेख निर्धारित काउन्सिलिग स्थल पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसकी सूचना यथा समय समाचार पत्रों एवं विभागीय साइट पर प्रकाशित/प्रदर्शित की जावेगी।

25— उक्त शासकीय प्रवेश काउन्सिलिंग प्रकिया के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से किये गये प्रवेश मान्य नहीं होंगें।

26— **सक्षम प्राधिकारी**— किसी भी अभ्यर्थी के प्रवेश के सबंध में विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में प्रकरण के निराकरण हेतु आयुक्त/संचालक, आयुष सक्षम प्राधिकारी होंगे, जिनका निर्णय अंतिम होंगा।

27— **नियमों में संशोधन का अधिकार** —

किसी नियम तथा प्रवेश के लिए किसी प्रक्रिया को संशोधित करने का अधिकार राज्य सरकार अपने पास आरक्षित रखती है। इन नियमों के निर्वचन तथा उनके संशोधनों से संबंधित किसी विवाद की दशा में, राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा तथा सभी संबंधितों पर बाध्यकर होगा।

28— प्रवेश प्रकिया एवं नियमों में संशोधन का अधिकार राज्य शासन का होगा। उसकी सूचना संचालनालय आयुष की वेबसाइड में उपलब्ध रहेंगी किन्तु इसे अलग से प्रकाशित नहीं किया जायेगा। अतः अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि संचालनालय आयुष की वेबसाइड www.ayush.mp.gov.in के सतत् सम्पर्क में रहें एवं उसे देखते रहें।

29— **निरसन तथा व्यावृत्ति** :—

इन नियमों के प्रचलित होने के पूर्व तत्स्थानी समस्त नियम एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं। परंतु इस प्रकार निरसित किए गए नियमों के अधीन किए गए किसी आदेश या की गई किसी कार्रवाई के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया है या की गई है।

30— किसी भी विवाद की स्थिति में मध्यप्रदेश राजपत्र में इन नियमों का यह प्रकाशित हिन्दी पाठ ही मान्य होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. आर. कतरोलिया, उपसचिव.

Distribution of Seats for the PG Courses M.D. (Ayurveda)/M.S. (Ayurveda)

S. No.	COLLEGE NAME	SUBJECT	25% In Service Quota In Clinical Departments									75% OPEN In Clinical Departments and 100 % In Other Departments												Grand Total
			UR		SC		ST		OBC		Total	UR			SC			ST			OBC			
			OP	F	OP	F	OP	F	OP	F		OP	F	Total	OP	F	Total	OP	F	Total	OP	F	Total	
1	Pt.. Khushi Lal Sharma Government Ayurveda College & Institute, Bhopal	Dravyaguna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	1	0	1	1	1	0	1	5
		Kriya Sharir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	1	1	0	1	0	1	1	5
		Panchkarma	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	1	0	1	1	0	1	0	0	0	5
		Rachna Sharir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1+1*	1	3	0	1	1	0	1	1	0	1	1	6
		Ras Shatra Evam Bhaishjay Kalpna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	0	0	1	0	1	1	0	1	5
		Rog Nidan Evam Vikrti Vigyan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	1	1	1	2	1	0	1	6
		Swasthavritta	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	4
2	Government Ayurveda College Rewa	Sanhita Siddhant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	0	0	1	0	1	1	0	1	5
		GRAND TOTAL	2	0	0	0	0	0	0	0	2	12+1*	6	19	4	2	6	5	3	8	4	2	6	41

नोटः— सीटों की संख्या परिवर्तनशील है।

* = दिव्यांगों हेतु आरक्षित

UR = अनारक्षित ST = अ.ज.जा. F = महिला

OBC = अ.पि.व. SC = अ.जा. *PH = दिव्यांग

Distribution of Seats for the PG Courses M.D. (Ayurveda)/M.S. (Ayurveda) 100% State Quota

25% In Service In Clinical Departments, 75% OPEN Clinical Departments and 100 % In Other Departments

S. No.	Subjects	Name of College: RANI DULLAIYA SMRITI AYURVED										SHUBHDEEP AYURVEDA COLLEGE										PT. SHIVSHAKTI LAL AYURVEDA										GRAND TOTAL					
		In-Service 25%	UR		ST		SC		OBC		TOTAL	In-Service 25%	UR		ST		SC		OBC		TOTAL	In-Service 25%	UR		ST		SC		OBC		TOTAL	In-Service 25%	UR	ST	SC	OBC	TOTAL
			OP	F	OP	F	OP	F	OP	F			OP	F	OP	F	OP	F	OP	F			OP	F	OP	F	OP	F	OP	F							
1	Agadtantra	OBC 1	1	1	1	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	5
2	Dravyaguna	0	2	1	1	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	0	5
3	Kaumarbhritya	SC1+1*	0	1	1	0	0	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	5
4	Kayachiktisa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OBC 1	2		1	0	1	0	0	0	5	1	1	1	1	0	0	1	1	0	6	2	4	2	2	1	11
5	Panchkarma	ST1	1+1*	0	1	0	1	0	0	0	5	1	1	1	0	1	1	0	0	0	5	SC1+1*	1+1*	0	1	0	1	0	0	0	6	4	6	3	3	0	16
6	Rachna Sharir	0	3	1	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	5
7	Ras Shatra Avam Bhaishjay Kalpna	0	3	1	0	0	0	0	1	0	5	0	1	1	1	0	0	1	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	1	2	10
8	Rog Nidan Avam Vikrti Vigyan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2+1*	0	1	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	1	5
9	Sanhita Sidhanta	0	1	1	0	1	1	0	0	1	5	0	1	1	0	1	1	0	1	0	5	0	3	1	0	1	0	0	0	1	6	0	8	3	2	3	16
10	Shalya Tantra	1	1	0	1	0	0	1	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	5
11	Swasthavritta	ST1	1	0	1	0	1	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	5
	Grand Total	6	14	6	6	2	4	2	3	2	45	2	8	3	3	2	3	1	2	1	25	3	6	2	2	1	1	1	1	1	18	11	40	16	12	9	88

नोट:– सीटों की संख्या परिवर्तनशील है।

उपरोक्त तीनो महाविद्यालयों की कुल 88 सीटों में से क्लीनिकल विषयों की 47 सीटों का 25 प्रतिशत इन सर्विस कोटे की कुल 11 सीटों में निर्धारित आरक्षण अनुसार आरक्षण प्रदाय कर उनके सम्मुख संवर्ग अंकित किया गया है।

* = दिव्यांगों हेतु आरक्षित

UR = अनारक्षित ST = अ.ज.जा. F = महिला

OBC = अ.पि.व. SC = अ.जा. *PH = दिव्यांग

Table–1

1 – शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालयों की फीस

क्र.	फीस का मद	राशि	अन्य विवरण
1.	शिक्षण शुल्क	45,000.00	प्रतिवर्ष
2.	स्टूडेन्ट फण्ड (क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम शुल्क)	1500.00	प्रतिवर्ष
3.	सुरक्षा निधि	10,000.00	प्रवेश के समय एक बार
4.	शैक्षणिक यात्रा भ्रमण शुल्क	4000.00	प्रथम वर्ष
5.	छात्रावास सुरक्षा निधि	10,000.00	प्रवेश के समय एक बार (केवल छात्रावास रहवासियों के लिये)
6.	छात्रावास निवास शुल्क	10,000.00	प्रतिवर्ष (केवल छात्रावास रहवासी छात्रों के लिये)
7.	प्रतिभूति निक्षेप	20,000.00(अना.) 4000.00 (ST/SC/OBC)	प्रवेश के समय एक बार (नियम–19 के अनुसार)

नोट– उक्त फीस संरचना प्रवेश के समय प्रत्येक अभ्यर्थी पर लागू होगी। साथ ही शासन/महाविद्यालय की स्वशासी समिति द्वारा समय–समय पर अनुमोदित अन्य शुल्क व संशोधन लागू होंगे।

2 – निजी आयुष महाविद्यालयों की फीस

म.प्र. निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क निर्धारण अध्यादेश 2007 के अंतर्गत गठित प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति द्वारा निर्धारित फीस देय होगी, जिसे समिति की बेवसाइट www.afrcmp.org पर देखा जा सकता है तथा निजी विश्वविद्यालयों के निजी महाविद्यालय की फीस म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (www.mpnvva.in) के निर्धारण अनुसार देय होगी।

प्रारूप – 1

प्रमाण पत्र, अभिलेखों के सत्यापन कॉउंसिलिंग, आवंटन संबंधी प्रपत्र

(उम्मीदवार द्वारा भरा जावे)

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैनें मध्यप्रदेश एम.डी./एम.एस. (आयुर्वेद) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा भलीभांति पढकर समझ लिये हैं। तत्पश्चात् ही नियमों में दिये गये प्रावधानो के अधीन कॉउंसिलिंग, में भाग ले रहा/रही हूं ।

कॉउंसिलिंग, में भाग लेने के लिए आज दिनांक ..... को निम्न जानकारी मूल प्रमाण पत्र एवं मूल अभिलेख प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ । यदि वांछित जानकारी नियमानुकूल नहीं है अथवा असत्य है अथवा अधूरी है, आवश्यकतानुसार नहीं है तो मुझे कॉउंसिलिंग में भाग लेने से वंचित कर दिया जाए। किन्ही कारणों से आवंटन या प्रवेश प्राप्त हो भी जाता है तो मेरा आवंटन या प्रवेश कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जाए–

1. प्रवेश परीक्षा 2017 का रोल नं. :.....
2. मेरिट प्रतीक्षा सूची कमांक : .....
3. प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांक :.....
4. पूरा नाम :.....
5. माता/पिता/अभिभावक का पूरा नाम :.....

   पता :.....

   टेली./ मो. नं. :.....

6.1 श्रेणी(अनारक्षित/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) :.....

6.2 संवर्ग (सैनिक/स्वतंत्रता सैनानी/दिव्यांग /महिला/ओपन) : .....

7. मूल प्रमाणपत्र अभिलेख जो प्रस्तुत कर रहे है, उनके सामने सही (√) का चिन्ह लगायें।

1. ☐ प्रवेश परीक्षा की मूल अंकसूची ।
2. ☐ स्नातक परीक्षा की मूल अंकसूची । (समस्त)
3. ☐ इन्टर्नशिप पूर्ण करने का प्रमाण पत्र
4. ☐ रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
5. ☐ आरक्षित/संवर्ग हेतु निर्धारित प्रारूप में स्थाई जाति प्रमाणपत्र ।

Book No.	Disp. No.	Date	Place	Issuing Authority

6. ☐ जन्मतिथि संबंधी कक्षा 10वी की अंकसूची । DD MM YYYY

7. ☐ चरित्र प्रमाणपत्र ।
8. ☐ मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होने संबंधी प्रमाण पत्र ।

No.	Dt. of issue	Place	Issuing Authority

9. ☐ अंतिम संस्था में अध्ययनरत रहने का टी.सी.
10. ☐ वर्तमान आय प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप में। ( )

11 ☐ संस्था प्रमुख का मूल दस्तावेज जमा होने संबंधी प्रमाण पत्र, सूची सहित। (यदि लागू हो तो)

पूरा नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, दिनांक

सत्यापन (सूक्ष्म जॉच समिति द्वारा भरा जावे)

मेरे द्वारा समिति को उपलब्ध कराये मूल प्रमाण पत्रों, अभिलेखों (1–11) की जांच की गई। प्रमाण पत्रों एवं अभिलेखों की प्रमाणित छायाप्रति के 01 सेट रिकार्ड हेतु जमा करा लिये गये हैं। प्रमाण–पत्रों पर पाई गई कमियों को ऊपर उल्लेखित किया गया है।

सदस्य अभिलेख सत्यापन समिति

(नाम पदनाम हस्ताक्षर, दिनांक)

परीक्षणोपरांत उम्मीदवार कॉउंसिलिंग में भाग लेने के लिए पात्र है अथवा निम्न प्रमाण पत्र एवं अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने के कारण अथवा अन्य कारणों ..... से कॉउंसिलिंग में भाग लेने के लिये पात्र नहीं हैं ।

अध्यक्ष, अभिलेख सत्यापन समिति

(हस्ताक्षर, दिनांक नाम एवं पदनाम.)

प्रारूप–1–अ

शपथ पत्र

मैं/आत्मज/आत्मजा श्री.....उम्र.....निवासी..... ..... आज दिनांक.....को शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा आनलाईन काउंसिलिंग में लिये गये निर्णय से मैं बचनबद्व रहूँगा/रहूँगी।

आवंटित संस्था में प्रवेश समय सीमा में लेकर मैं नियम पुस्तिका में दिये गये नियमों का पालन करूगॉ/करूंगी।

1. गवाह के हस्ताक्षर

दिनांक.....

नाम.....

पूरा पता.....

2. गवाह के हस्ताक्षर

दिनांक.....

नाम.....

पूरा पता.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

दिनांक.....

नाम.....

पूरा पता.....

टेलिफोन./मोबाईल नं.....

सीट लीविंग बॉन्ड

(रूपये 250/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जावे।)

मध्यप्रदेश के शासकीय/स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थियों द्वारा निष्पादित किये जाने वाले सीट लीविंग बॉड का प्रारूप

1 – मै., ... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... निवासी .....मध्यप्रदेश के .....आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूँ।

2 – मैने मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग के शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश नियम 2017 को भलीभांति पढ लिया है।

3 – मैं सामान्य/आरक्षित श्रेणी की/का छात्रा/छात्र हूँ।

4 – मै एतद् द्वारा यह बंधपत्र निम्न शर्तो पर निष्पादित करती/करता हूँ कि :–

(1) यह कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर दिए जाने वाले निर्देशों/अनुदेशों का पालन करने हेतु मैं वचनबद्ध रहूँगी/रहूँगा।

(2) यह कि अंतिम चरण की पी.जी. काउंसलिंग 2017 में एम.डी.(आयुर्वेद) पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के पश्चात् शासकीय (स्वशासी) संस्था में अपनी सीट रिक्त करती/करता हूँ अथवा त्यागपत्र देती/देता हूँ और किसी अन्य छात्रा/छात्र द्वारा उस रिक्त सीट पर प्रवेश की संभावना नहीं है तो उस स्थिति में मैं रू. 05.00 लाख (कुल पॉच लाख) संबंधित शासकीय (स्वशासी) संस्था में अर्थदण्ड स्वरूप जमा करने हेतु बाध्य रहूँगी/रहूँगा एवं अगले 03 वर्षो (तीन वर्षो) तक मुझे प्रदेश के किसी भी शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(3) यह कि मेरे मूल दस्तावेज प्रवेशित संस्था में जमा रहेंगे एवं शासन के निर्देश के अनुसार ही मुझे वापस किये जावेंगे।

(4) यह कि इस बंधपत्र के प्रावधानों का उल्लंघन होने की दशा में मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक एवं यूनानी प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड में किया गया मेरा रजिस्ट्रेशन निरस्त करने संबंधी कार्यवाही का अधिकार शासन को रहेगा।

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह :– 1 .....
2 .....

प्रतिभूतिकर्ता

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... निवासी ..... उपरोक्तानुसार बंधपत्र में उल्लेखित राशि की वसूली मेरी चल व अचल संपत्ति से की जा सकेगी।

हस्ताक्षर अभिभावक

गवाह :– 1 .....
2 .....

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.